गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

प्रस्तावना

गठन

समिति में 15 सदस्य होते हैं और उपाध्यक्ष महोदय इसके सभापति होते हैं। समिति का नामनिर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। समिति का कार्य गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के लिए समय का नियतन करना, संविधान में संशोधन के आशय वाले गैर-सरकारी विधेयकों की लोक सभा में पुर:स्थापन से पूर्व जांच करना, सभा में पुर:स्थापन के बाद और सभा में इस पर विचार किए जाने से पूर्व सभी गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की जांच करना और इनकी प्रकृति, तात्कालिकता और महत्व के अनुसार इन्हें दो वर्गों यथा वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' में वर्गीकृत करना तथा ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की जांच करना जहां सभा की विधायी क्षमता पर प्रश्न उठता हो।

इस प्रकार गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के संदर्भ में वैसे ही कार्य करती है जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सरकारी कार्यों के संदर्भ में किया जाता है।समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए होता है।